परिशिष्ट-6

आविप्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

मानचित्र सं० - 697/BFCH/8/10 दि० 16-9-2011

पूर्णता प्रमाण-पत्र

छत्ता वार्ड में स्थित खसरा सं0-814 से 818 मौजा छलेसर कानपुर रोड पर निर्मित रिटेल, होलसेल, वेयर हाउस/डेली नीड्स शॉप के सम्बन्ध में लिये गये प्रमाण पत्र (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स, द) का परीक्षण नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.6.11 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई नियम/शर्तें आरोपित की जाती है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा।

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा
O/C

20-9-11

T.P. notting

(697)

विभाग....................
फाइल संख्या..................
क्रम संख्या....................

- 17 -

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

सहायक अभियन्ता/ नगर नियोजक/ प्रभारी नियोजन/सचिव/उपाध्यक्ष,

कृपया श्रीमती नमिता अग्रवाल द्वारा खसरा सं0-814, से 818 मौजा छलेसर मे प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति सं0-697/बी0एफ0सी0एच0/08/10-11 के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं डेली नीड्स शॉप के निर्माण की अनुमति प्राप्त की गयी थी। आवेदिका द्वारा दाहिनी ओर निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र 'ब' पर परिशिष्ट संलग्न पत्र दिनांक 06.08.11 के अनुसार निर्माण के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर उनके द्वारा वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया गया है। प्राधिकरण से स्वीकृति शर्त के अनुरूप बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1. आवेदिका द्वारा ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं के भण्डारण न करने सम्बन्धी शपथ पत्र पताका 'क' में संलग्न है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है। प्रमाणपत्र संलग्न है।
2. स्ट्रक्चर एवं भूकम्परोधी प्रमाण पत्र पताका 'ख' निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।
3. नगर निगम एवं टोरन्ट पावर की एन0ओ0सी0 प्राप्त हो चुकी है। एन0एच0ए0आई0 की एन0ओ0सी0 अभी प्राप्त नही हुई हैं। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा विभागीय प्रक्रिया में देरी की वजह से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नही की जा सकी है। एन0ओ0सी0 शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। एन0एच0ए0आई0 की एन0ओ0सी0 आवेदिका तीन माह के अन्दर प्रस्तुत कर देंगी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0ओ0सी0 में जो भी नियम/शर्ते लागू की जायेगीं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधीक्षण अभियन्ता (एन0एच0ए0आई0) द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार कन्ट्रोल लाइन राज मार्ग के मध्य से 75 मी0 दूरी पर होनी चाहिए। परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा द्वारा रीजनल आफीसर एन0एच0ए0आई0 लखनऊ को प्रेषित पत्र में प्रश्नगत स्थल का रोड सैक्शन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार रोड के केन्द्र से कन्ट्रोल लाइन 75 मी0 दूरी पर है, जबकि वर्तमान में निर्मित भवन 92.53 मी0 पर स्थित है। सम्मुख पताका 'ग' पर संलग्न आई0आर0सी0 विनियमों के अनुसार भी कन्ट्रोल लाइन सड़क के मध्य से 75 मी0 पर होना वांछित है। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-1061/23.02.11 में उल्लिखत है कि जो क्षेत्र प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र में आते है तथा जहॉं महायोजना लागू है वहॉं उक्त नियम लागू नही होता है चूंकि आगरा में आगरा महायोजना 2021 लागू है तथा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्मुख 60 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग है जिसके दृष्टिगत मानचित्र सड़क के मध्य से 30मी0 की दूरी पर स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृति के अनुसार ही स्थल पर भी 30 मी0 के पश्चात् बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है।
4. विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन आदि का प्रमाण पत्र संलग्न है। अग्निशमन हेतु वंछित शपथ पत्र भी संलग्न है।

आवेदिका द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य किया है। अतः आवेदिका को उक्त निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुसंशा इस शर्त के साथ की जाती है यदि भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा द्वारा किसी प्रकार की शर्त आरोपित की जाती है तो पक्ष द्वारा उसका पालन करना होगा। भवन उपविधि के अनुसार सशर्त पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

14/9/11
अवर अभियन्ता

Gautam 15/09/11 TP.

AE 15/9/11

16/9/11

16/9/11 स0नि0

16.9.11
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

अधि० अभियन्ता

कृ० दाहिनी ओर सलग्न अधिकृत प्रतिनिधि मालगार्ड इण्डिया प्रा० लि० के प्रार्थना पत्र दि० 21 जुलाई - 17 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें खसरा न. 814/2, 815, 816, 817/2 मौजा दलेलगढ़ तहसील एत्मादपुर जिला आगरा पर निर्मित भवन की पार्किंग में सोलर पैनल की स्थापना हेतु जानकारी चाही गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल पर मानचित्र श्रीमती नमिता अग्रवाल द्वारा स्वीकृत कराया गया है। नियमानुसार भूस्वामी ही किसी प्रकार की निर्माण की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है। भूस्वामी की ओर से अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार अनुमति पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्य से आवेदक को सूचित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

27/7/17
JE

27/7/17

B.C.

AE | EE

कृपया उपरोक्तानुसार आवेदक को सूचित करने हेतु पत्रोत्तर तैयार कर दिया गया है। कृ० अवलोकन कर, हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

27/7/17

27/7/17
OD

31/07/17